उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-69/2016/वे0आ0-2-1478/दस-69(सामान्य)/2010 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वेतन समिति की संस्तुतियों को भारतीय संविधान की धारा-309 के अन्तर्गत अधिसूचना के माध्यम से लागू किये जाने तथा विभिन्न न्यायालयों में वेतनमानों एवं भत्तों के सम्बन्ध में दायर वादों का प्रभावी अनुश्रवण किये जाने के उदेश्य से कार्यालय ज्ञाप संख्या- वे0आ0-2/3075/दस-69(सामान्य)/2010, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा गठित वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ के लिए विभिन्न पदों का सृजन दिनांक 29 फरवरी,2012 तक के लिए किया गया। इन पदों की निरन्तरता समय-समय पर बढायी जाती रही है। निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर स्तमभ-3 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप द्वारा की गयी थी तथा अंतिम बार संविदा अवधि में वृद्धि स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय ज्ञाप द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2017के लिये की गयी :----

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	कार्यालय ज्ञाप संख्या एवं दिनांक जिसके द्वारा संविदा पर नियुक्ति की गयी।	कार्यालय ज्ञाप संख्या व दिनांक जिसके द्वारा अन्तिम बार अवधि बढ़ायी गई।
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1	श्री विजय कुमार मौर्य, कम्प्यूटर आपरेटर	वे0आ0-2-73/दस-2012-69(सामान्य)/2010, दिनांक 21 फरवरी, 2012	वे0आ0-2-156/दस-2016-69(सामान्य)/2010, दिनांक 12 जनवरी, 2016
2	श्री कार्तिक कुमार पाण्डेय, कम्प्यूटर आपरेटर		
3	श्री रशीदुल इस्लाम, अनुसेवक	वे0आ0-2-74/दस-2012-69(सामान्य)/2010,दिनांक 21 फरवरी, 2012	वे0आ0-2-156/दस-2016-69(सामान्य)/2010,दिनांक 12 जनवरी, 2016
4	श्री प्रदीप कुमार, अनुसेवक		

2- इन कार्मिकों की सेवायें की आवश्यकता बनी हुई है। अत: इनकी संविदा नियुक्ति को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक, यदि इसके पूर्व इनकी नियुक्तिसमाप्त न कर दी जाय, बढाये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

<u>प0सं0- संख्या-69/2016/वे0आ0-2-1478(1)/दस-69(सामान्य)/2010 टी0सी0, तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- महालेखाकार,प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सचिव, वित्त (वेतन आयोग)।
4- लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, वेतन समिति (दो प्रतियॅा)।
5- सम्बन्धित कार्मिक।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।